कार्यालय–जिला पर्यटन विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

पत्रॉकः– /ट्रै0ट्रैड /2019–20 / पर्य0टिहरी। दिनॉकः– 24 07 / 2019।

प्रोपराईटर / प्रबन्धक

....

समस्त होटल / पर्यटक आवास गृह / गेस्ट हाउस
धर्मशाला / टैन्ट कालोनी।

विषयः–राज्य को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु सहभागिता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि जनमानस में तम्बाकू उत्पादों के सेवन करने से विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करने से आम जनता को सेकन्ड हैंड स्मोक का सामना करना पड़ता है जिसके कारण हर साल कई लोगों को जान गवानी पड़ती है, सेकन्ड हैंड स्मोक के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में कोटपा / अधिनियम के मानकों के अनुरूप किसी भी सार्वजनिक स्थान यथा होटल / गेस्ट हाउस, रेस्ट्रा, संस्थान / कार्यालय, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन में तम्बाकू का सेवन निषेध है।

अतः आपकों सूचित किया जाता है कि कोटपा अधिनियम 2003 के अनुसार अपने–अपने होटल / गेस्ट हाउस, रेस्ट्रा, संस्थान / कार्यालय, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एवं अन्य परिसरों को धूम्रपान मुक्त करने के लिये निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें।

1) कोटपा अधिनियम 2003 के अनुसार होटल / गेस्ट हाउस, रेस्ट्रा, संस्थान / कार्यालय, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एवं अन्य परिसरों को धूम्रपान मुक्त करने के लिये उक्त संस्थानों के मुख्य द्वार पर धूम्रपान निषेध का 60बउ 30 बउ का पोस्टर लगा होना चाहिए, जिसमें संस्थान के मुख्य या उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष नम्बर लिखा होना चाहिए।

2) संस्थान के हर मंजिल में धूम्रपान निषेध के साईनेज / पोस्टर लगे होने चाहिए।

अतएव अपने होटल / संस्थान को स्मोक मुक्त करने हेतु उपरोक्तानुसार बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुए प्रदुषण मुक्त रखने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेंगें।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

पृ0प0स0 331 / समदिनांकित / 2019।
प्रतिलिपिः–कु0 प्रियंका तिवारी, डिविशनल कोऑर्डिनेटर, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बालाजी सेवा संस्थान को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
टिहरी गढवाल।

LETTER